[2021] एस. सी. आर. 587

पुनस्तांग्छु-1 जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण, भूटान

बनाम

लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड।

2021 की सिविल अपील संख्या 693)

22 फरवरी, 2021

[इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -एस. 11-भूटान में एक पनबिजली परियोजना के संबंध में अपीलकर्ता-प्राधिकरण और प्रतिवादी-ठेकेदार के बीच अनुबंध-पक्षों के बीच विवाद-प्रतिवादी ने अनुबंध के खंड 67 (ii) के तहत अपीलकर्ता को मध्यस्थता की सूचना भेजी, और अपने स्वयं के नामित मध्यस्थ को नामित किया-अपीलकर्ता ने कहा कि यह मध्यस्थता के लिए सहमत था; हालाँकि, मध्यस्थता भूटान के वैकल्पिक विवाद समाधान अधिनियम, 2013 द्वारा नियंत्रित होगी और मध्यस्थता का स्थान थिम्पू, भूटान में होगा-इसके बाद, प्रतिवादी ने प्रत्यर्थी नेअधिनियम 1996 की सेक्शन 11(6) के अन्तर्गत आवेदन दायर किया।अपीलार्थी की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6)-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध के खंड 67 (ii) से यह संकेत नहीं मिलता है कि भूटान अधिनियम 2013 के अधिनियमन पर 1996 के अधिनियम की प्रयोज्यता समाप्त हो जाएगी-चूंकि अपीलार्थी अपना मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा था, इसलिए उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया।एस. 11, और नियुक्ति की और आगे निर्देश दिया कि दोनों मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, और मध्यस्थता कार्यवाही 1996 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होगी-इसलिए तत्काल अपील-इस बीच, मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, क्योंकि दोनों मध्यस्थों ने एक पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त किया था-हालाँकि, उसके बाद, लागू क़ानून और मध्यस्थता के स्थान के संबंध में अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच आम सहमति बन गई-तदनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि विचाराधीन अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद थिम्पू में मध्यस्थता के स्थान के साथ 2013 के भूटान अधिनियम के अनुसार

संचालित किए जाएंगे-न्यायाधिकरण, हालांकि, पक्षों के परामर्श से कुछ सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील संख्या 693।

2020 की मध्यस्थता याचिका संख्या 461 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 11.12.2020 के निर्णय और आदेश से।

तुषार मेहता, एस. जी. आई. रंजीत कुमार, गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता।भरत सिंह, ध्रुव गुप्ता, अमित पवन, अनन्या कुमार, रजत जोनेजा, सुश्री निहारिका अग्रवाल, दिव्यम अग्रवाल, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों की ओर से

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

अनुमति दे दी गई।

1. 14.04.2009 पर, अपीलार्थी और प्रतिवादी-ठेकेदार के बीच भूटान के वांगदुए फोदरांग जिले में स्थित पुनात्सांगछू-I जल-विद्युत परियोजना के जल-यांत्रिक कार्यों सहित डायवर्जन सुरंग, बांध, सेवन और गाद निकालने की व्यवस्था के निर्माण के लिए एक अनुबंध समझौते को निष्पादित किया गया था।मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए अनुबंध प्रदान किया गया।अनुबंध की प्रासंगिक शर्तें इस प्रकार हैंः

खंड **5 (i) (b)**

जिस कानून के अधीन अनुबंध होना है और जिसके अनुसार अनुबंध का अर्थ लगाया जाना है, वह भूटान में और थिम्पू अदालतों के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ समय के लिए कानून होगा।

खंड **67**

(ii) सिवाय इसके कि जहां निर्णय अंतिम हो गया है, उपरोक्त विवादों या मतभेदों के उप पैरा (i) के संदर्भ में बाध्यकारी और निर्णायक को पी. एच. पी. ए. और ठेकेदार द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त तीन मध्यस्थों के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के माध्यम से मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।जहाँ एक मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाता है, वहाँ एक स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति उन नियमों के अनुसार की जाएगी जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू थे।भूटान में

मध्यस्थता अधिनियम के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निहित बुनियादी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा/उनके द्वारा निर्देशित होगा।

पुनर्संग्चू-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, भूटान बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड पक्षकार मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र होंगे।मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए किसी भी समझौते में विफल रहने पर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे।

खंड **67 (iv)**

यदि कोई भी पक्ष अपने मध्यस्थों की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, उपरोक्त उपखंड (ii) के अनुसरण में अपने मध्यस्थों की नियुक्ति करने में विफल रहता है या दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति, एक पक्ष के अनुरोध पर, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, भारत/थिम्पू उच्च न्यायालय, भूटान या उनके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा की जाएगी।

खंड **67 (vii) (**ए**)**

सभी मध्यस्थता नई दिल्ली, भारत/थिम्पू, भूटान में आयोजित की जाएगी।

2. 25.02.2013 पर, भूटान साम्राज्य ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे का प्रावधान करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान अधिनियम, 2013 ("भूटान अधिनियम") लागू किया।यह अधिनियम 14.03.2013 से प्रभावी होग।

3. प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा किए गए कुछ दावों के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए।प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने अनुबंध के खंड 67 (ii) के तहत अपीलकर्ता-प्राधिकरण को मध्यस्थता की सूचना भेजी, और इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके नामित मध्यस्थ के रूप में नामित किया।

4. दिनांकित सूचना के जवाब में, अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 4/08/2020 के माध्यम से यह कहते हुए जवाब। दिया कि वह मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए सहमत है।

हालाँकि, अनुबंध के खंड 67 (ii) के अनुसार, मध्यस्थता भूटान अधिनियम, 2013 द्वारा शासित होगी और मध्यस्थता का स्थान थिम्पू, भूटान में होगा जैसा कि खंड 67 (vii) (a) द्वारा प्रदान किया गया है।

5. अक्टूबर, 2020 में, प्रतिवादी-ठेकेदार ने अपीलकर्ता-प्राधिकरण की ओर से एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया।

6. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से कहा कि समझौते के खंड 67 (ii) से यह संकेत नहीं मिलता है कि भूटान अधिनियम के अधिनियमन पर 1996 के अधिनियम की प्रयोज्यता समाप्त हो जाएगी। भूटान अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप 1996 का अधिनियम लागू नहीं होगा।मध्यस्थता 1996 के अधिनियम द्वारा शासित होगी। चूँकि जल-विद्युत प्राधिकरण अपने मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहा था, इसलिए न्यायालय ने आधिनियम के धारा 11 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया और नियुक्ति की।यह भी निर्देश दिया गया कि दोनों मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे और मध्यस्थता की कार्यवाही 1996 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

7. दिनांक 11.12.2020 के आदेश से व्यथित होकर, पनबिजली प्राधिकरण ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की।

हमने भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और अपीलकर्ता-प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और प्रतिवादी-ठेकेदार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी को सुना है। 16.02.2021 पर, मामले को प्रवेश सुनवाई के लिए लिया गया था। हमें पक्षों के वरिष्ठ वकील द्वारा सूचित किया गया था कि इस बीच, मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, क्योंकि दोनों मध्यस्थों ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया था। पीठासीन मध्यस्थ के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी। प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को विवादों के निर्णय के लिए नियुक्त मध्यस्थों के पैनल के संबंध में कोई समस्या नहीं है।उनकी शिकायत भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की प्रयोज्यता और नई दिल्ली में मध्यस्थता के स्थान तक सीमित थी।

8. इसके बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22.02.2021 पर लिया गया।प्रत्यर्थी-ठेकेदार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल थिम्पू में मध्यस्थता के स्थान के साथ भूटान के वैकल्पिक विवाद समाधान अधिनियम, 2013 के अनुसार आयोजित किए जा रहे मध्यस्थता के लिए सहमत थे।

9. पक्षों के बीच बनी सहमति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि दिनांकित 14.04.2009 समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का संचालन भूटान के वैकल्पिक विवाद समाधान अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाएगा। पुनस्तसंग्चू-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना प्राधिकरण, भूटान बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। थिम्पू में मध्यस्थता का स्थान।हालाँकि, न्यायाधिकरण पक्षों के परामर्श से कुछ सुनवाई ऐसे स्थानों पर करने के लिए स्वतंत्र होगा जो सुविधाजनक हो।

दीवानी अपील का निपटारा किया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निस्तारण माना जाएगा।

देविका गुजराल

अपील का निस्तारण किया गया।